भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4473
20.08.2025 को उत्तर देने के लिए

रोजगार संबंधी आकलन हेतु आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

4473. डॉ. संबित पात्राः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में रोजगार की नवीनतम स्थिति का आकलन करने के लिए हाल ही में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कराया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोजगार सेवा कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए निजी क्षेत्र के समन्वय से कोई नीति कार्यान्वित की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने संगठित क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को करियर संबंधी परामर्श और व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कोई अध्ययन कराया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का असंगठित क्षेत्र में भी बेरोजगार युवाओं को उक्त मार्गदर्शन प्रदान करने के संबंध में आंकड़े एकत्र करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सां. और कार्य.कार्या.मंत्रा.) देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति से संबंधित विभिन्न संकेतकों का अनुमान लगाने के लिए वर्ष 2017 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आयोजित कर रहा है। जुलाई 2019 - जून 2020 से जुलाई 2023 - जून 2024 की अवधि के दौरान आयोजित पीएलएफएस की वार्षिक रिपोर्टों से, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) के अनुमान निम्नानुसार हैं:

वर्ष	डब्ल्यूपीआर (प्रतिशत में)
2019-20	50.9
2020-21	52.6
2021-22	52.9
2022-23	56.0
2023-24	58.2
स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2023-24 *नोट:* वर्ष *2019-20 का तात्पर्य जुलाई 2019 – जून 2020 की अवधि से है और इसी प्रकार* वर्ष *2020-21,* वर्ष *2021-22,* वर्ष *2022-23 और* वर्ष *2023-24 के लिए भी है*	

डेटा दर्शाते हैं कि देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए रोजगार का संकेत देने वाले श्रमिक जनसंख्या अनुपात में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है।

(ख) से (घ): रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), आदि शामिल हैं।

भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन जॉब मेलों के संबंध में सूचना, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप आदि सहित आजीविका संबंधी सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक वन-स्टॉप समाधान है। दिनांक 14.07.2025 तक, एनसीएस पोर्टल पर 6.43 करोड़ से अधिक (जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं) रिक्तियाँ उपलब्ध कराई गई हैं।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को सहायता प्रदान करने के लिए, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ईएलआई)को मंजूरी दी है।

*****